22/7/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पुनः सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुऐ अपनी बहस मे बताया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी स. (1) के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे। विपक्षी स. (1) के अधिवक्ता ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे बताया कि आ. न. $\frac{1267}{1224}$ मे $\frac{9}{10}$ हिस्सा प्रार्थी ने विक्रय कर आज ही कब्जा काश्त एंव रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे वर्णित पड़ौसान के मध्य विक्रय कि गई उसी भूमि पर वि.स. (2) काबिज होकर खातेदार है। रेकोर्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है,

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है की मामनिया की जमाबन्दी सवत् 2071-74 के खाता स. 235 मे अंकित आराजी नम्बर $\frac{1252}{867}$ रकबा 0.10 भूमि प्रार्थी व विपक्षी सख्या (2) से (5) तक की सह खातेदारी भूमि है। व खाता नम्बर 219 मे अंकित आराजी नम्बर $\frac{1267}{1224}$ रकबा 1.00.00 बिघा भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण की सहखातेदारी भूमि है। जिसके सम्बध में वाद विचाराधिन है उक्त विवादित भूमियो मे आ. न. $\frac{1252}{867}$ रकबा 0.10.00 बिघा भूमि प्रार्थी व विपक्षी स. (2) से (5) तक की गैर खातेदारी की भूमि है। जिस पर विपक्षी स. (1) की दखलन्दाजी नही होनी चाहिये।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

विवाधक बिन्दुओ का विनिश्चय मूल दावे मे उभयपक्षो की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के पश्चात किया जाना है।

अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि तो फैसला वाद ग्राम बामणिया परवार हल्का साकिया की आराजी न. $\frac{1247}{867}$ रकबा 0.10.00 बीघा एंव आराजी न. $\frac{1267}{1224}$ रकबा 1.00.00 बीघा शामिल मे से प्रार्थी के हिस्से $\frac{1}{10}$ हिस्से मे अप्रार्थी स० ① प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे नही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे।

पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जिला राजसमन्द